अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

श्रम विभाग

3.1 श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए श्रम अधिनियमों/कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से संगठित और साथ ही असंगठित क्षेत्रों[1] के श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है।

भारत सरकार के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अधीन, छत्तीसगढ़ शासन ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत ''असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल'' का गठन (जनवरी 2011) किया। छत्तीसगढ़ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की 56 श्रेणियाँ अधिसूचित की गई हैं। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

10 या अधिक श्रमिकों वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों में लगे श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन (फरवरी 2001) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और इस क्षेत्र के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया था।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ शासन के सचिव करते हैं एवं श्रमायुक्त, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा उनकी सहायता की जाती है। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में श्रम विभाग के सचिव और असंगठित श्रमिकों, नियोक्ताओं, राज्य विधानसभा, सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों सहित 28 नामित सदस्य शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कल्याण आयुक्त एवं नियोक्ताओं, कर्मचारियों और स्वतंत्र सदस्यों के प्रतिनिधियों सहित 19 नामित सदस्य शामिल हैं। श्रम विभाग के संगठनात्मक संरचना का विस्तृत प्रवाह चित्र **परिशिष्ट–3.1.1** में दिया गया है।

---

[1] स्व–नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाला एक उद्यम जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन/बिक्री/सेवा प्रदान करने में लगा हो, तथा कोई भी उद्यम जिसमें 10 से कम श्रमिक कार्यरत हो।

3.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली

अपेक्षित हितलाभों को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिनियमों/नियमों एवं प्रक्रिया के अनुपालन का आकलन करने के लिए वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

तीन शीर्ष इकाइयों यथा श्रमायुक्त कार्यालय, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल तथा 10 जिला स्तर के इकाइयों[2] में अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी। 10 जिलों में से, उन छः जिलों का चयन किया गया जहां श्रम कार्यालय और कल्याण केंद्र दोनों अस्तित्व में थे। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकीय नमूनाकरण के आधार पर चार जिलों का चयन किया गया था। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित 50[3] कल्याणकारी योजनाओं में से 10[4] योजनाओं का चयन जांच के लिए किया गया था (**परिशिष्ट–3.1.2**)। चयनित जिलों में वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में 4.94 लाख हितग्राहियों ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 506 श्रमिकों का हितग्राही सर्वेक्षण किया गया था।

3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, और भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के श्रम अधिनियम
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमों और कानूनों के क्रियान्वित करने के लिए समय–समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाएं एवं निर्देश
- वर्ष 2011–18 की अवधि में श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं के दिशानिर्देश/आदेश

3.1.5 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधियों के आबंटन और व्यय से ज्ञात हुआ कि श्रम विभाग ने योजना शीर्ष 7435, 8977, 8989 एवं 4270 के अंतर्गत वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में ₹ 329.41 करोड़ का कुल बजट प्रावधान/आवंटन किया था। योजना शीर्ष 4270–श्रम कल्याण निधि के तहत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को निधि प्रदान किया गया था, जबकि शेष योजना शीर्ष असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए संचालित थे। वर्ष 2018–23 के दौरान, सभी 50 कल्याणकारी योजनाओं पर आवंटित निधियों में से प्रशासनिक व्यय (10 चयनित कल्याणकारी योजनाओं में ₹ 88.56 करोड़) सहित केवल ₹ 210.75 करोड़ (64 प्रतिशत) व्यय किए गए तथा ₹ 118.66 करोड़ (36 प्रतिशत) व्यय नहीं किए गए, जैसा कि **तालिका 3.1.1** में दर्शाया गया है।

---

2 सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव और सरगुजा।

3 14 संगठित क्षेत्र के अंतर्गत और 36 असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत।

4 सात असंगठित क्षेत्र से और तीन संगठित क्षेत्र से।

तालिका 3.1.1: वर्ष 2018–23 के दौरान असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट शीर्ष के अंतर्गत आबंटन, व्यय एवं बचत का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2018–19	71.15	36.00	35.15 (49)
2019–20	67.82	33.53	34.29 (51)
2020–21	63.42	40.80	22.62 (36)
2021–22	61.50	42.08	19.42 (32)
2022–23	65.52	58.34	7.18 (11)
योग	**329.41**	**210.75**	**118.66 (36)**

(स्त्रोतः श्रम आयुक्त कार्यालय और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निधि के आबंटन में कमी आई है, जबकि वर्ष 2019–20 से आबंटित निधियों से व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। कुल व्यय ₹ 210.75 करोड़ में से ₹ 11.96 करोड छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए योजना शीर्ष 4270 के अंतर्गत एवं शेष ₹ 198.79 करोड़ का व्यय असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत किए गए। बजट आबंटन के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को पंजीकृत श्रमिकों एवं प्रतिष्ठानों के अंशदान तथा ब्याज आदि से निधि की प्राप्ति हुई ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपलब्ध ₹ 44.86 करोड़ की राशि में से ₹ 21.27 करोड़ (47 प्रतिशत) व्यय किया गया। प्राप्तियों/उपलब्ध निधियों और व्यय का विवरण **तालिका 3.1.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1.2: वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में श्रम कल्याण निधि की प्राप्ति, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष
2018–19	3.01	5.60	8.61	4.02	4.59
2019–20	4.59	9.32	13.91	5.27	8.64
2020–21	8.64	8.28	16.92	3.46	13.46
2021–22	13.46	7.00	20.46	2.88	17.58
2022–23	17.58	11.65	29.23	5.64	23.59
कुल		**41.85**		**21.27**	

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कल्याण निधि में अंशदान करना होगा ताकि निधि का उपयोग संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जा सके। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 8,777 पंजीकृत प्रतिष्ठानों में से, 1,627 प्रतिष्ठानों ने जनवरी 2017 से मार्च 2023

के दौरान कल्याण निधि में कम से कम ₹ 2.93 करोड़[5] का अंशदान नहीं दिया था। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने इन लंबित अंशदानों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

कुल व्यय ₹ 21.27 करोड़ में से केवल ₹ 9.05 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया तथा शेष व्यय प्रशासन एवं स्थापना पर किया गया। वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा ₹ 3.74 करोड़ विज्ञापन के लिए व्यय किया गया जिसमें से ₹ 76.04 लाख कोविड की रोकथाम के लिए जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यय किया गया था।

शासन ने कहा (मई 2025) कि वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान कोविड–19 के कारण असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में बचत हुई, जबकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के मामले में श्रम भवन, छात्रावास, अन्य भवनों के निर्माण और नई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हालांकि, भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन भवनों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका।

शासन के उत्तर से पता चलता है कि व्यय का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में प्रशासनिक और स्थापना गतिविधियों पर अधिक था।

3.1.6 श्रमिकों का पंजीयन

(i) असंगठित क्षेत्र:

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि असंगठित क्षेत्र का प्रत्येक कर्मकार जिसकी आयु 14 वर्ष पूरी हो चुकी है, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन के लिए पात्र होगा। असंगठित कर्मकार और संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान/कर्मकार *shramevjayate.cg.gov.in* के माध्यम से पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीयन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में श्रमिकों के पंजीयन का वर्षवार विवरण **तालिका 3.1.3** में दिया गया है।

तालिका 3.1.3: असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में असंगठित कर्मकारों के पंजीयन की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत कर्मकारों की संख्या	वर्ष में पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदन	वर्ष के दौरान पंजीयन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदन में से स्वीकृत	मृत्यु और किसी अन्य कारण से पंजीयन निरस्तीकरण	अन्त शेष (2)+(4)+(6)–(7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018–19	7,38,542	7,74,040	5,46,530	2,27,510	1,253	221	12,86,104
2019–20	12,86,104	79,420	48,162	31,258	6	304	13,33,968
2020–21	13,33,968	1,75,803	96,499	79,304	10	1,102	14,29,375
2021–22	14,29,375	98,970	69,319	29,651	49	2,311	14,96,432
2022–23	14,96,432	2,44,840	1,66,539	78,301	204	1,099	16,62,076
योग	.	**13,73,073**	**9,27,049**	**4,46,024**	**1522**	**5037**	.

(स्त्रोतः असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

[5] 1627 (प्रतिष्ठान) × ₹ 1500 × 2 (वर्ष में दो बार) × 6 (वर्ष) = ₹ 2.93 करोड़

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- राष्ट्रीय पोर्टल ई–श्रम के अनुसार, मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में 76.33 लाख श्रमिक (6.44 लाख निर्माण श्रमिकों को छोड़कर) पंजीकृत थे। तथापि, मार्च 2023 तक असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या केवल 16.62 लाख थी और शेष 59.71 लाख[6] असंगठित क्षेत्र के कर्मकार असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में लक्षित हितग्राही संख्या पंजीयन के दायरे से बाहर रहे।
- पंजीकृत 16.62 लाख असंगठित कर्मकारों में से केवल 9.25 लाख (56 प्रतिशत) आधार नंबर से जुड़े थे, जबकि 8.97 लाख (54 प्रतिशत) पंजीयन मोबाइल नंबरों से जुड़े थे। विभाग ने एक ही आधार संख्या के साथ कई पंजीयन के 3.40 लाख प्रकरणों की पहचान की (मई 2024), किन्तु उनमे से केवल 5,013 मामलों को सुधार किया गया और शेष 3.35 लाख मामले सुधार के लिए लंबित थे।

(ii) संगठित क्षेत्र

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 2015 (संशोधित) में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान[7] पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को इसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मकारों के नाम प्रस्तुत करेगा। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में कर्मकारों के पंजीयन का वर्षवार विवरण **तालिका 3.1.4** में दिया गया है।

तालिका 3.1.4: छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में प्रतिष्ठानों और संगठित श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान पंजीयन		पंजीयन का अंतिम शेष	
	प्रतिष्ठान	कर्मकार	प्रतिष्ठान	कर्मकार	प्रतिष्ठान	कर्मकार
2018–19	2,393	1,05,863	1,439	23,719	3,832	1,29,582
2019–20	3,832	1,29,582	1,077	17,760	4,909	1,47,342
2020–21	4,909	1,47,342	1,206	23,257	6,115	1,70,599
2021–22	6,115	1,70,599	1,737	23,838	7,852	1,94,437
2022–23	7,852	1,94,437	925	10,292	8,777	2,04,729

(स्त्रोत: छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि वर्ष 2019–20 और 2021–22 के लिए क्रमशः 2.50 लाख और 5.50 लाख कर्मकारों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया था। तदनुसार, धनराशि स्वीकृत की गई और प्रचार/विज्ञापन पर ₹ 3.74 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, मार्च 2023 तक केवल 2.05 लाख (26 प्रतिशत) श्रमिकों का पंजीयन किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के मामले में, भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के तहत 85.81 लाख पंजीकृत श्रमिकों के विरुद्ध, 26.62 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है तथा शेष 59.19 लाख (मई 2025) कर्मकारों को पंजीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

---

[6] 76.33 – 16.62 = 59.71

[7] छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 2 (5) (i) (ii) के अनुसार, एक कारखाना या कोई भी संस्थान जो किसी भी व्यवसाय या व्यापार या उसके संबंध में या सहायक कार्य करता है, जिसमें विगत माहों के दौरान किसी भी कार्य दिवस में 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है।

के मामले में, संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और कर्मकारों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.7 कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए असंगठित कर्मकारों से योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। कर्मकारों को योजना के मानदंड के अनुसार आवेदन पत्र (श्रम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन) के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने करने की आवश्यकता थी (जैसे मातृत्व सहायता योजना के लिए जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण)। ई–रिक्शा पर वित्तीय सहायता तथा मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना पर श्रमिकों की पात्रता के लिए स्वीकृति प्राधिकारी जिला कलेक्टर, संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी और नगर निगम/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की एक समिति थी। अन्य योजनाओं के लिए जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/कोई अन्य अधिकारी (कलेक्टर द्वारा अधिकृत) को कर्मकारों के आवेदनों की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इसी तरह, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा आवेदन मांगे गए थे। कल्याण आयुक्त कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदनों की जांच तथा स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी थे।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को लाभान्वित करने के लिए 36 योजनाएं और संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए 14 योजनाएं क्रमशः असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित की गईं। इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों की कुल संख्या और व्यय **तालिका 3.1.5** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1.5: वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल		छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	
	हितग्राहियों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)	हितग्राहियों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
2018–19	4,46,113	32.67	78,684	2.45
2019–20	2,91,761	7.48	1,26,861	2.25
2020–21	12,557	21.04	93,015	1.13
2021–22	17,362	37.12	1,28,775	0.90
2022–23	20,480	42.75	26,780	2.32
योग	**7,88,273**	**141.06**	**4,54,115**	**9.05**

(स्त्रोतः असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में यह देखा गया किः

क) वर्ष 2020 के बाद हितग्राहियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, तथापि, असंगठित क्षेत्र के लिए योजना व्यय में वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, संगठित क्षेत्र के लिए योजना व्यय नगण्य रहा, यद्यपि 2020 से उतरोत्तर इस क्षेत्र में पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या अधिक है।

ख) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के कुल 50 योजनाओं (**परिशिष्ट–3.1.3**) में से 10 योजनाओं में, वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में बजट प्रावधान होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है:

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल–(i) स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडीमेड किचन) के लिए सहायता (ii) ई–ठेला सहायता योजना (iii) सफाई कर्मकार हेतु ओपीडी उपचार (iv) ठेका मजदूर और हमाल कामगार हेतु ओपीडी उपचार (v) मुख्यमंत्री सायकल रिक्शा;

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल –(i) निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/श्रवण यन्त्र वितरण (ii) निःशुल्क सायकल वितरण (iii) स्वास्थ्य एबं नेत्र परीक्षण शिविर और निःशुल्क चश्मा वितरण (iv) कर्मकारों हेतु आकस्मिक मृत्यु सहायता (v) कर्मकारों हेतु खेल प्रतियोगिताएं।

इस प्रकार, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक निधि की उपलब्धता के बावजूद उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

ग) 17 योजनाओं में प्रत्येक कर्मकार को औसतन वित्तीय लाभ ₹ 1,000 से कम था (**परिशिष्ट 3.1.4**)। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कल्याण योजनाओं जैसे विवाह सहायता, सिलाई मशीन, सायकल, औजार एवं उपकरण आदि के वितरण पर व्यय अनवरत नहीं किया गया था और विशिष्ट वर्षों में ही लाभ प्रदान किए गए थे। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने सम्मिलित रूप से ₹ 150.11 करोड़ का व्यय किया और वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान केवल 12.42 लाख कर्मकारों को लाभान्वित किया गया, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कवरेज में कमी तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध निधि के कम उपयोग का संकेत देता है।

घ) दो योजनाओं अर्थात ई–रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता और मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के संबंध में, आवेदनों की जांच एवं लाभ प्रदान करने के लिए योजना दिशानिर्देश में एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तथापि, उक्त प्रक्रिया अन्य योजनाओं में निर्धारित नहीं थी। यह दर्शाता है कि हितग्राहियों के चयन के लिए कोई एकसमान प्रक्रिया नहीं थी और इसमें सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव था।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि 10 कल्याणकारी योजनाओं में से पांच कल्याणकारी योजनाओं को वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान आवेदन प्राप्त नहीं होने/अपर्याप्त आवेदनों के कारण बंद कर दिया गया है। शेष कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पांच योजनाओं में 6,773 आवेदन प्राप्त हुए थे (असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत चार योजनाओं में 101 आवेदन और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत एक योजना में 6,672 आवेदन) लेकिन कर्मकारों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया था।

3.1.7.1 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा मुख्यमंत्री सायकल सहायता और समाचारपत्र वितरक (हॉकर) सायकल योजनाएं

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, पंजीकृत कर्मकारों के लिए असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा निःशुल्क सायकल सहायता से संबंधित छह योजनाओं[8] को क्रियान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा ने असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की दो सायकल संबंधी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री सायकल सहायता और समाचारपत्र वितरक (हॉकर) सायकल सहायता योजना का नमूना जांच किया। इन योजनाओं के अंतर्गत असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत, महिला कामगारों (18–40 वर्ष की आयु) और हॉकर्स को एक सायकल प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयीः

(i) हितग्राहियों का अल्प कवरेज होना

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 6.51 लाख महिला कर्मकार और 1,624 हॉकर पंजीकृत थे। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, 1.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमे से 0.35 लाख (23 प्रतिशत) कर्मकार लाभान्वित हुए, जबकि 0.76 लाख (51 प्रतिशत) आवेदन जिला श्रम कार्यालयों में कार्यवाही के लिए लंबित थे और 0.39 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे। सभी सायकल वर्ष 2018–19 के दौरान वितरित किए गए थे एवं 2019–20 से 2022–23 के दौरान कर्मकारो को कोई सायकल वितरित नहीं की गई थी।

➢ जिला श्रम कार्यालय, रायपुर में अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि सायकल योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले कर्मकारों को वितरण के लिए रायपुर जिले को 18,200 सायकलों (असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 4,200 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के लिए 14,000) की आपूर्ति की गई थी। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल ने फर्म को 4,200 साइकिलों (100 पुरुष + 4,100 महिला) के लिए ₹ 1.55 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2020) और 14,000 सायकलों के लिए शेष भुगतान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा किया गया (फरवरी 2020)। प्राप्त 18,200 सायकलों में से 17,505 सायकल हितग्राहियों को वितरित की गईं और शेष 695 सायकलें हितग्राहियों को वितरित नहीं की गईं तथा पिछले छह वर्षों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कोलार, विकासखण्ड–अभनपुर, कृषि उपज मंडी समिति, विकासखण्ड– अभनपुर, आईटीआई कॉलेज माना, गोबरा–नवपारा और आरंग में अनुपयोगी पड़ी थीं। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान क्षतिग्रस्त सायकलों की ली गई तस्वीर नीचे दी गई हैः

[8] (i) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना (ii) हॉकर सायकल सहायता योजना (iii) कोटवार हेतु सायकल और टॉर्च सहायता (iv) राउत चरवाहा, दूधवाले हेतु सायकल योजना (v) सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु सायकल सहायता (vi) घरेलू कामगार हेतु सायकल, छतरी, चप्पल/जूता योजना

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कोलार (विकासखण्ड–अभनपुर) में रखी गई क्षतिग्रस्त सायकलें, दिनांक 26.06.2024

यह भी देखा गया कि सहायक श्रम आयुक्त रायपुर कार्यालय के श्रम निरीक्षक, ने सूचित किया (मई 2022) था कि सायकल जंग लगे हुए व छतिग्रस्त थे तथा उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। समय पर सायकलों का वितरण न होने के कारण न केवल ₹ 25.76 लाख (3,707 × 695) का निरर्थक व्यय हुआ, बल्कि कर्मकार योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहे।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल को निर्देश जारी किए थे कि श्रमिकों को सामग्री प्रदान नहीं किया जायेगा। तथापि, कुछ भ्रम के कारण, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सायकलों का वितरण रोक दिया गया। ₹ 25.76 लाख के निर्थक व्यय के संबंध में, शासन ने आगे कहा कि शेष सायकलों के भौतिक मूल्यांकन के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि विभाग ने असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों को सायकल वितरित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 695 सायकलों का वितरण न होने और परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त होने के कारण सायकलों की खरीद पर ₹ 25.76 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

3.1.7.2 अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अन्य योजनाओं यथा ई–रिक्शा सहायता योजना, सफाई कर्मकार के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क, गमबूट आदि के लिए प्रावधान, सफाई कर्मकार को कौशल विकास एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत, शैक्षिणिक छात्रवृत्ति योजना, कल्याण केंद्र के संचालन पर प्रशासनिक व्यय, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण योजना और शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं: –

- **ई–रिक्शा सहायता योजना (असंगठित कर्मकारों के लिए):–** ई–रिक्शा योजना के अनुसार, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 18–50 वर्ष की आयु के आवेदक / कर्मकार को उनके आवेदन पर ₹ 10,000 के स्वयं के अंशदान और शेष राशि की बैंक ऋण के रूप में स्वीकृति के बाद ₹ 50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। यह पाया गया कि राज्य में ई–रिक्शा की क्रय के लिए वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान 1,053 कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी एवं दुर्ग जिले में वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान, ई–रिक्शा के क्रय के लिए किसी भी हितग्राही को वित्तीय सहायता नहीं दी गई

थी, यद्यपि 39 आवेदन प्राप्त हुए थे। आगे, चार जिलों[9] के नौ हितग्राहियों को ई–रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता श्रम विभाग में आवेदन जमा करने के एक वर्ष के अंतराल के बाद मिली थी, जबकि आठ जिलों[10] के 13 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता उनके आवेदन जमा करने के छह महीने से 12 महीने में मिली थी।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त 39 आवेदनों में से ई–रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता 11 हितग्राहियों को दी गई है, जबकि 06 मामलों में डुप्लिकेट आवेदन प्राप्त हुए थे तथा 22 मामलों में अनुचित दस्तावेजों के कारण आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।

शासन ने दुर्ग जिले में 11 हितग्राहियों और अन्य चयनित जिलों में 22 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में देरी के मामले में कोई उत्तर नहीं दिया।

- **सफाई कर्मकार (असंगठित कर्मकारो के लिए) के लिए आवश्यक उपकरणों का अनुदान–** असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 18–60 वर्ष की आयु के सफाई कर्मकारों को गमबूट, दस्ताने, मास्क और एप्रन की खरीद के लिए प्रत्येक वर्ष **₹** 1,000 की सहायता दी जानी थी। यह पाया गया कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान 11,042 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 6,327 कर्मकारों को **₹** 34.35 लाख के व्यय के उपरांत योजना का लाभ प्रदान किया गया था। प्राप्त 11,042 आवेदनों में से 3,230 आवेदन (29 प्रतिशत) लंबित थे। 56 श्रमिकों के हितग्राही सर्वेक्षण से पता चला कि श्रमिकों को योजना लाभ केवल एक वर्ष के लिए प्रदान किया गया था जबकि योजना के दिशानिर्देशों में प्रत्येक वर्ष लाभ प्रदान किया जाना था। आगे, तीन जिलों यथा कोंडागांव, जांजगीर–चांपा और रायगढ़ में हितग्राही सर्वेक्षण से पता चला कि हितग्राहियों की सूची में 11 कर्मकारों को शामिल किया गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी दिशानिर्देशों में दिए गए आवश्यक उपकरण नहीं मिले थे।

  शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचना जारी की जाएगी और प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक आवेदन और संबंधित सफाई कर्मकारों की उपलब्धता के सत्यापन के आधार पर उपकरण जारी किए जाएंगे।

- **सफाई कर्मकार का कौशल विकासः** योजना में यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के सहयोग से पंजीकृत कर्मकारों/परिवार के सदस्यों (पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री) को कुछ चयनित छोटे व्यवसायों का समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत (2018–23 के दौरान) 32,623 सफाई कर्मकार पंजीकृत थे। यह पाया गया कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान राज्य में 741 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 440 कर्मकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था, परन्तु किसी भी प्रतिष्ठान में उनके प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्रदाय किए जाने पर असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। आगे, यह पाया गया कि नमूना जाँच किए गए जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान योजनान्तर्गत 188 आवेदन प्राप्त करने के बाद भी किसी भी कर्मकार का प्रशिक्षण के लिए चयन नहीं किया गया था।

---

[9] राजनांदगाँव (1), कोरबा (4), सरगुजा (2) तथा रायगढ़ (2)

[10] राजनांदगाँव (1), दुर्ग (1), कोरबा (1), कोंडागांव (1), कांकेर (2), जांजगीर–चांपा (4), रायगढ़ (1) तथा बिलासपुर (2)

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि सफाई कर्मकार के कौशल विकास के प्रकरण में रोजगार के अभिलेखों के रख रखाव के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

- **शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना (संगठित कर्मकार हेतु)** – इस योजना में प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत प्रतिष्ठान के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों के पुत्र/पुत्री (दो पुत्र/पुत्रियों तक) छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 1,500 से ₹ 10,000 (कक्षा एक से स्नातकोत्तर तक) का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र थे। यह पाया गया कि 2018–19 से 2022–23 के दौरान प्राप्त 11,254 आवेदनों में से केवल 8,779 (78 प्रतिशत) कर्मकारों को ₹ 3.12 करोड़ के व्यय के उपरांत योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया था। शेष 2,497 आवेदनों में से 2,475 को अस्वीकार कर दिया गया और 22 लंबित थे। तीन नमूना जाँच किए गए जिलों (सरगुजा, कोंडागांव और कांकेर) में यद्यपि 168 प्रतिष्ठानों में 4,859 कर्मकार थे, लेकिन कर्मकारो से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यह इन जिलों में शैक्षिक छात्रवृत्ति की कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूकता की कमी को इंगित करता है।

  शासन ने कहा (मई 2025) कि शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना में प्रतिष्ठानों में पोस्टर, डिस्प्ले बोर्ड आदि के माध्यम से इस योजना के प्रचार के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि कर्मकार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक हो सकें।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने इसी अवधि के दौरान विज्ञापन पर ₹ 3.74 करोड़ का व्यय किया, जो विज्ञापन के पारंपरिक माध्यम यथा होर्डिंग, पोस्टर आदि के माध्यम से श्रमिकों तक पहुंचने में अप्रभावी होने का संकेत देता है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को नए तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के लिए श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की पहल करनी चाहिए।

- **कल्याण केंद्रों के संचालन पर प्रशासनिक व्यय एवं निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण योजना (संगठित कर्मकार हेतु)**– छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान के कर्मकार के परिवार के सदस्य (पत्नी और पुत्री) कल्याण केंद्रों में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा आयोजित सिलाई/कढ़ाई की आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, उन्हें सिलाई मशीन प्रदान किया जाएगा। जांच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018–23 के दौरान 2,572 हितग्राहियों सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। इन 2,572 हितग्राहियों में से 1,702 लाभार्थी सिलाई मशीनों का लाभ उठाने के लिए पात्र थे। वर्ष 2018–23 के दौरान, इन पात्र हितग्राहियों को सिलाई मशीन प्रदान की जानी थी, परन्तु उन्हें वर्ष 2023–24 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया था। इस प्रकार, योजना का लाभ प्रदान करने में एक से पांच साल तक का विलम्ब हुआ।

  हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने में विलम्ब के संबंध में शासन ने कोई टिप्पणी नहीं किया।

- **शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना (संगठित कर्मकार हेतु)**– पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मकार निर्दिष्ट केंद्रों पर 5 रुपये प्रति भोजन की कीमत पर पौष्टिक भोजन (चावल, दाल, सब्जी और आचार) के लिए पात्र थे। वर्ष 2018–19 में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना सात से आठ केंद्रों पर भोजन वितरण के माध्यम से केवल पांच जिलों (बिलासपुर, रायपुर, राजनंदगांव, दुर्ग और रायगढ़) में लागू की गई थी। वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान, यह योजना चार जिलों (रायपुर, राजनंदगांव, दुर्ग और रायगढ़) में संचालित की गई

थी। 2018–19 के दौरान, दो केंद्रों अर्थात मैग्नेटो मॉल (रायपुर) और बृहस्पति बाजार (बिलासपुर) में पूरे वर्ष के दौरान और छावनी (दुर्ग) के एक केंद्र में छः महीने के लिए भोजन वितरित नहीं किया गया था। आगे, नवा रायपुर में वर्ष 2021–22 के दौरान 11 महीनों तक भोजन वितरित नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (मई 2025) कि बृहस्पति बाजार (बिलासपुर) में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना और छावनी (दुर्ग) के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ है, जबकि मैग्नेटो मॉल (रायपुर) में अपंजीकृत व्यक्तियों ने लाभ उठाया था, इसलिए इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। वर्तमान में, नवा रायपुर में नियुक्त ठेकेदार/वेंडर द्वारा भोजन केंद्र संचालित नहीं किया जा रहा है।

जबाब, केंद्रों अर्थात बृहस्पति बाजार (बिलासपुर), छावनी (दुर्ग) और मैग्नेटो मॉल (रायपुर) में भोजन के वितरण की अपर्याप्त निगरानी को इंगित करता है। आगे, अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार/विक्रेता को सभी भोजन केंद्रों का संचालन करना था।

3.1.8 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन न करना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत तीन योजनाओं यथा महिला ठेका/हमाल/घरेलु कामगार, सफाई कर्मकार तथा अन्य असंगठित कर्मकार से संबंधित प्रसूति सहायता योजना से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा (आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 कार्य दिवस) निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा ने असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत लाभों से संबंधित चयनित जिला कार्यालयों में तत्कालीन अभिलेख की जांच की, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आते हैं एवं यह पाया कि उपरोक्त तीन प्रसूति योजनाओं के 2,837 आवेदन, आवेदन की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा से परे लंबित थे। इसका विवरण **तालिका 3.1.6** में दिया गया है।

तालिका 3.1.6: योजनाओं का विवरण जिनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन नहीं किया गया

योजना का नाम	जिला	विलंब की स्थिति माह तक (एक महीने में 20 कार्य दिवसों को मानते हुए)	आवेदन दिनांक से विलंब	लंबित आवेदनों की संख्या (30 दिवस के उपरांत लंबित)
ठेका श्रमिक घरेलु महिला कामगार और हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	कोंडागांव	31 दिसंबर 2023	50 दिन से 55 दिन	02 (20 दिन से 25 दिन)
	कांकेर	31 दिसंबर 2023	40 दिन से 75 दिन	12 (10 दिन से 45 दिन)
	रायपुर	31 मई 2024	40 दिन से 246 दिन	123 (10 दिन से 216 दिन)
असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	कोंडागांव	31 दिसंबर 2023	40 दिन से 95 दिन	45 (10 दिन से 65 दिन)
	कांकेर	31 दिसंबर 2023	40 दिन से 84 दिन	25 (10 दिन से 54 दिन)
	रायपुर	31 मई 2024	40 दिन से 242 दिन	90 (10 दिन से 212 दिन)
	जांजगीर–चांपा	31 दिसंबर 2023	60 दिनों तक और उससे अधिक	2535 (60 दिनों से अधिक)
सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	रायपुर	31 मई 2024	40 दिन से 98 दिन	05 (10 दिन से 68 दिन)
कुल				**2,837 मामलें**

(स्त्रोतः चयनित जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विलंब 30 कार्य दिवसों की समय सीमा के बाद 10 दिनों से लेकर 216 दिनों तक थी। इस प्रकार, इन योजनाओं में विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर पर संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों/श्रम अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव एवं कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी में शामिल हाने के कारण आवेदनों के निपटान में विलंब हुआ।

उत्तर इंगित करता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

3.1.9 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा अपर्याप्त संख्या में बैठकों का आयोजन

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018–23 के दौरान, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक, आवश्यक 15 बैठकों के विरुद्ध केवल एक बार (फरवरी 2023) तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की बैठक आवश्यक 20 बैठकों के विरुद्ध केवल सात बार आयोजित की गई थी जो कि क्रमशः असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 में प्रावधानित है।

आगे, निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करने, निःशुल्क सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार आदि के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू नहीं किया गया। जिसके कारण श्रमिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ से वंचित रहे।

शासन ने कहा (मई 2025) कि वर्ष 2018–19 से नवंबर 2022 तक सदस्यों के नामांकन की अनुपलब्धता के कारण वांछित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गईं। यद्यपि, दिसंबर 2022 में नामांकन किया गया था लेकिन अपूर्ण गणपूर्ति के कारण बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि सदस्यों के नामांकन में विलम्ब और अपूर्ण गणपूर्ति के कारण बैठकों का न होना असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा अपर्याप्त प्रशासन को दर्शाता है।

3.1.10 राज्य में अमलों की कमी

श्रम विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और अधिनियमों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने श्रम कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति दी है। श्रम विभाग में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण **तालिका 3.1.7** में दिया गया है।

तालिका 3.1.7: स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण (मार्च 2023 तक)

श्रेणी	राज्य		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद (प्रतिशत)
सहायक श्रम आयुक्त / श्रम अधिकारी / सहायक श्रम अधिकारी	53	34	19 (36)
श्रम निरीक्षक / श्रम उप निरीक्षक	150	113	37 (25)
सहायक ग्रेड–3	103	21	82 (80)
डाटा प्रविष्टि प्रचालक	27	15	12 (44)
आउटसोर्स सहित भृत्य और चौकीदार	110	28	82 (75)

(स्त्रोतः श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यह देखा गया कि सहायक ग्रेड–3 के मामले में 80 प्रतिशत पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मामले में 44 प्रतिशत, सहायक श्रमायुक्त / श्रम अधिकारी के मामले में 36 प्रतिशत और श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक के मामले में 25 प्रतिशत पद रिक्त थे, जिसके परिणाम स्वरूप कमियां जैसे कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी, श्रम न्यायालय में लंबित मामलों को आगे बढ़ाने में देरी, अभिलेखों का अनुचित रखरखाव और लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन न करना आदि परिलक्षित हुईं जैसा कि पिछले कंडिकाओं में उल्लेख किए गया है।

शासन ने कहा (मई 2025) कि नियत समय पर कर्मचारियों की नई नियुक्ति और पदोन्नति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

3.1.11 निष्कर्ष

श्रम विभाग, केंद्र और राज्य शासन द्वारा बनाए गए श्रम अधिनियमों / कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा और उनके आर्थिक, भौतिक और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का नोडल विभाग है।

हमने पाया किया कि छ.ग. शासन ने आबंटन और पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के अनुरूप योजनाओं पर व्यय सुनिश्चित नहीं किया। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीयन की संख्या से बहुत कम था, जबकि संगठित क्षेत्र में पंजीयन केवल 26 प्रतिशत था। निगरानी एजेंसियों की नियमित और आवधिक बैठकों की कमी के कारण असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल / छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी / मूल्यांकन अपर्याप्त थी।

3.1.12 अनुशंसाएं

शासन यह सुनिश्चित कर सकती है:

- ***श्रमिकों के लाभ के लिए आबंटित धन का बेहतर उपयोग।***
- ***क्रय की गई सायकल और अन्य उपकरण / सुरक्षात्मक गियर / सामग्री आदि के वितरण में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना।***
- ***आईटी श्रम पोर्टल पर शेष एवं योग्य श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए विशिष्ट उपाय और विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करने एवं जागरूकता पैदा***

करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करना।

- *बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं निगरानी के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पंजीकरण एवं हितलाभ वितरण हेतु मौजूदा पोर्टल में एक सुदृढ़ आईटी उप–मॉड्यूल बनाया जा सकता है।*

ऊर्जा विभाग

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा सौर पंपों की स्थापना पर वृहद कंडिका

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और प्रचार के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का गठन मई 2001 में सोसाइटी अधिनियम 1973 के अधीन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। क्रेडा का मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु सौर, पवन, जल, जैवमास, बायोगैस एवं भू–तापीय जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना है, जो कि प्रकृति में या तो असीमित हैं या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा साथ ही कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम आदि जैसे सीमित पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। क्रेडा सौर सुजला योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत/समुदायिक लघु सिंचाई तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से पेय जल आपूर्ति करने हेतु विभिन्न जल स्रोतों जैसे नलकूप, कुएं, नदियों, तालाबों आदि में सौर फोटो वोल्टाइक उपकरणों पर आधारित सौर पंप स्थापित करने के लिए एक अभिकरण जैसा कार्य करता है।

वर्ष 2017–23 के दौरान क्रेडा ने तीन योजनाओं के अंतर्गत लघु सिंचाई तथा पेय जल आपूर्ति करने हेतु ₹ 4,495.24 करोड़ व्यय कर 1,26,908 सौर पंप संस्थापित किए। वर्ष 2017–23 के दौरान, क्रेडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित सौर पंपों की संख्या तथा उस पर हुए व्यय का विवरण **तालिका 3.2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.1: 2017–23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित सौर पंपों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजनाओं का नाम	स्थापित सौर पंपों की संख्या	व्यय
1	*लघु सिंचाई –* *(i) व्यक्तिगत सौर सुजला योजना*	1,12,392	3,404.09
	(ii) सौर सामुदायिक सिंचाई	171	60.61
2	पेय जल आपूर्ति– (iii) सौर डुअल पंप	9,594	482.54
	(iv) जल जीवन मिशन	4,751	548.00
	योग	**1,26,908**	**4,495.24**

(स्त्रोतः वर्ष 2017–23 हेतु क्रेडा द्वारा सूचित भौतिक/वित्तीय प्रगति)

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के मध्य) क्रेडा, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिला स्तर पर कार्यरत कार्यालयों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि में संधारित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की जिसका उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या सौर पंपों की स्थापना मितव्ययिता, कुशलता और समयबद्ध तरीके से की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा सौर सुजला योजना के अंतर्गत सौर पंपों को प्राप्त करने वाले हितग्राहियों (कृषकों) को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र सर्वेक्षण भी किए गए थे। राज्य के 28 जिलों में

से, आठ जिलों[11] और प्रत्येक चयनित जिले में से दो विकासखंडो (या 25 प्रतिशत) और प्रत्येक चयनित विकास खंडो में 15 सौर पंपों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक वितरण नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि से किए गए थे।

लेखापरीक्षा परिणामों की तुलना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं निर्देशों तथा क्रेडा के कार्य नियमावली से प्राप्त मानदंडों के मानक से किया गया।

पंजीकृत समिती होने के कारण क्रेडा विभिन्न विभागों/प्राधिकरणों/निकायों द्वारा उपलब्ध कराए निक्षेप से कार्य करती है।

वर्ष 2017–23 के दौरान, क्रेडा को सौर सुजला योजना/सौर सामुदायिक सिंचाईं के अंतर्गत उर्जा विभाग तथा सौर डुअल पंपों/जल जीवन मिशन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अन्य जिला प्राधिकरणों से ₹ 5,147.66 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई थी। उपलब्ध निधियां ₹ 5,195.63 करोड़ (वर्ष 2017–18 के प्रारम्भिक शेष ₹ 47.97 करोड़ सहित) में से, कुल निधि ₹ 4,495.24 करोड़ (86.52 प्रतिशत) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सौर पंपों के स्थापना हेतु उपयोग की गई थी तथा मार्च 2023 के अंत में अंतशेष के रूप में ₹ 700.40 करोड़ पड़ी थी जिसे **तालिका 3.2.2** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.2.2: 2017–23 के दौरान सौर पंपों की स्थापना हेतु निधियों के प्रवाह की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय (प्रतिशत)	अंतशेष (प्रतिशत)
2017–18	47.97	901.5	949.47	891.69 (93.91)	57.78 (6.09)
2018–19	57.78	677.05	734.83	621.25 (84.54)	113.59 (15.46)
2019–20	113.59	496.19	609.78	559.70 (91.79)	50.08 (8.21)
2020–21	50.08	988.64	1038.72	651.10 (62.68)	387.62 (37.32)
2021–22	387.62	790.9	1178.52	941.11 (79.86)	237.41 (20.14)
2022–23	237.41	1293.38	1530.79	830.39 (54.25)	700.40 (45.75)
योग		**5147.66**	**6042.11**	**4495.24 (86.52)**	

(स्त्रोतः वर्ष 2017–23 हेतु क्रेडा द्वारा सूचित वित्तीय प्रगति)

अंतशेष वर्ष 2019–20 के अंत में ₹ 50.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 के अंत में ₹ 700.40 करोड़ हो गया और वर्ष 2017–23 के दौरान उपलब्ध निधि से व्यय का प्रतिशत 93.91 प्रतिशत से 54.25 प्रतिशत तक की उतार–चढ़ाव की प्रवृति को दर्शाती है तथा उपलब्ध निधियों के कम उपयोग को इंगित करता है।

जिला जल और स्वच्छता समितियों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में जल जीवन मिशन के तहत सौर पंपों की स्थापना के लिए निधियां जमा किए थे और इस जमा निधि में से अव्ययित निधि अधिक अन्तशेष के रूप में दृष्टिगोचर हुई।

[11] बलोदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और राजंनदगांव

3.2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.2.1 सौर सुजला योजना के अंतर्गत एसी पंपों की अपेक्षा महंगे डीसी पंपों की स्थापना को प्राथमिकता दिया जाना

सौर सुजला योजना का उद्देश्य विशेष रूप से विद्युतविहीन, दुर्गम क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना के माध्यम से लघु सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 हेतु तीन से पांच एचपी क्षमता श्रेणी के केवल एसी सौर पंपो की स्थापना किए जाने थे जबकि डीसी सौर पंप का विकल्प एक से दो एचपी क्षमता श्रेणी के लिए ही उपलब्ध था। तथापि, वर्ष 2019–20 के संशोधित दिशानिर्देशों में एसी एवं डीसी सौर पंपों का विकल्प सभी श्रेणियों अर्थात दो से पांच एचपी क्षमता वाले पंपों तक बढ़ा दी गई थी।

अवधि वर्ष 2016–23 के दौरान, क्रेडा ने दो से पांच एचपी के एसी तथा डीसी सबमर्सिबल तथा सतही सौर पंपो की आपूर्ति तथा स्थापना हेतु खुली निविदा आमंत्रित की थी। सबमर्सिबल तथा सतही सौर पंपों की प्रति इकाई न्यूनतम स्वीकृत दरें एसी पंप हेतु ₹ 1,38,585 तथा ₹ 4,50,000 के मध्य थी जबकी डीसी सौर पंप हेतु प्रति इकाई दर ₹ 1,86,219 तथा ₹ 4,90,500 के मध्य थी। इसतरह, डीसी सौर पंप हेतु स्वीकृत दरें एसी सौर पंप हेतु स्वीकृत दरों के तुलना में ₹ 40,500 से ₹ 47,634 तक अधिक थी।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 2021 तथा सितम्बर 2023 के मध्य) में पाया गया कि अवधि वर्ष 2016–23 के दौरान, सौर सुजला योजना के अंतर्गत क्रेडा ने 1,24,472 सौर पंप स्थापित किए थे जिसमें 88,806 डीसी (71.35 प्रतिशत) पंप तथा 35,666 (28.65 प्रतिशत) एसी पंप शामिल थे। इनमें से, वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान, योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत एसी पंपों की जगह तीन से पांच एचपी के 24,427 डीसी सौर पंप स्थापित किए थे। जिसके परिणामस्वरूप एसी पंपों के अपेक्षा डीसी पंपो को प्राथमिकता देने के कारण **तालिका 3.2.3** में दर्शाए अनुसार योजना पर ₹ 49.39 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

तालिका 3.2.3: वर्ष 2016–19 से विभिन्न क्षमता के स्थापित सौर पंपो का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	सौर पंपो की प्रकार एवं क्षमता	चरण–1 (2016–17)			चरण–2 (2017–18)			चरण–3 (2018–19)		
		डीसी पंपो की संख्या	दरें (डीसी/एसी)	अंतर	डीसी पंपो की संख्या	दरें (डीसी/एसी)	अंतर	डीसी पंपो की संख्या	दरें (डीसी/एसी)	अंतर
1	3 एचपी सतही	631	3.60/3.36	0.24	3011	2.99/2.82	0.17	573	2.09/2.10	0.00
2	3 एचपी सबमर्सिबल	2107	3.72/3.48	0.24	5945	3.18/3.02	0.16	6910	2.48/2.25	0.23
3	5 एचपी सबमर्सिबल	728	4.91/4.50	0.41	1929	4.19/3.94	0.25	1820	3.15/2.89	0.26
4	5 एचपी सतही	0	0	0	229	4.33/3.98	0.35	544	3.33/3.11	0.22
	योग	**3,466**	**अतिरिक्त लागत ₹ 955.60**		**11,114**	**अतिरिक्त लागत ₹ 1,927.41**		**9,847**	**अतिरिक्त लागत ₹ 2,056.02**	
वर्ष 2016–19 में स्थापित कुल सौर पंपो की संख्या					**24,427**	**सकल अतिरिक्त लागत ₹ 4,939.03 लाख**				

(स्त्रोतः वर्ष 2016–23 हेतु क्रेडा द्वारा सूचित किए गए वित्तीय प्रगति)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान तीन से पांच एचपी के महंगे डीसी पंप स्थापित किए गए थे जबकि दिशानिर्देशो में एसी पंपों की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप **₹** 49.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, शासन ने (जनवरी 2024) में उत्तर दिया कि एमएनआरई की संकेतात्मक तकनीकी विशिष्टियो के अनुसार डीसी सौर पंपों की जल निकासी क्षमता एसी सौर पंप की तुलना में अधिक है। डीसी सौर पंपों का कोई अन्य उपयोग नहीं है इसलिए इसके चोरी होने की संभावना कम है।

उत्तर तीन से पांच एचपी श्रेणी के अंतर्गत एसी पंपों की स्थापना हेतु योजना के निधार्रित दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

3.2.2.2 सौर सुजला योजना के अंतर्गत नलकूप के जल आवक क्षमता परीक्षण किए बिना सौर पंपों की स्थापना के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर को भुगतान

अनुबंध के दायरे के अनुसार, सौर पंपों की स्थापना के कार्य में स्थलों का सर्वेक्षण, नलकूप/जल स्रोत की जल आवक क्षमता का अनुमान, पंपों के आकार और प्रकार का सही चयन, स्थल स्वीकृति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति और जहाँ सौर फोटो वोल्टाइक पंप स्थापित किए जाने हैं उसका जल आवक क्षमता प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा। सौर सुजला योजना अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए क्रेडा द्वारा जारी स्वीकृति आदेश, कार्य आदेश और आशय पत्र के अनुसार सौर पंपों की स्थापना से पहले नलकूपों की जल आवक क्षमता परीक्षण करने का उत्तरदायित्व सिस्टम इंटीग्रेटरो[12] की है। आगे, यह निर्देशित किया गया था कि यदि पंप के स्वीकृत क्षमता के अनुरूप पर्याप्त पानी नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, क्रेडा के आदेश (जून 2019) के अनुसार, क्रेडा द्वारा निष्पादित प्रत्येक परियोजना के संयुक्त पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ न्यूनतम पांच जियो–टैग चित्र प्रस्तुत किए जाने थे। इसमे कार्य पूर्ण होने से पहले और बाद के चित्र, विभिन्न घटकों की चित्र तथा हितग्राही के साथ स्थापित पंप का एक चित्र सम्मिलित था।

अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के मध्य) में पाया गया कि अवधि 2016–23 के दौरान, क्रेडा ने सौर सुजला योजना के अंतर्गत 1,24,472 सौर पंप (नलकूप में 90,130 सबमर्सिबल पंप तथा सतही जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि पर 34,342 पंप) स्थापित किए। तथापि, सौर सबमर्सिबल पंप स्थापित करने से पहले आवश्यक जल आवक क्षमता परीक्षण नहीं किए गए थे क्योंकि जल आवक क्षमता परीक्षण का प्रतिवेदन या जल आवक क्षमता परीक्षण निष्पादित किए जाने के अन्य अभिलेख नही पाये गये तथा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए। चयनित आठ जिलों में, क्षेत्र सर्वेक्षण (अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022) के दौरान 236 सौर पंपों (3 एचपी–188 और 5 एचपी–48) का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा हितग्राहियों के साथ पारस्परिक बातचीत की गई थी। इनमें से, 15 सौर पंप (छह प्रतिशत) पानी का कम जल आवक क्षमता दे रहे थे और 13 सौर पंप अकार्यशील/खराब हो गए थे।

हितग्राहियों ने यह भी पुष्टि की कि सिस्टम इंटीग्रेटरो ने सौर पंपों की स्थापना से पहले जल आवक क्षमता परीक्षण नहीं किए थे। तथापि, क्रेडा ने दर अनुबंध के अनुसार सिस्टम

---

[12] सिस्टम इंटीग्रेटर एक ठेकेदार/एजेंसी है जो संबंधित कार्य के साथ सौर पंपों की स्थापना को निष्पादित करने के लिए क्रेडा/एमएनआरई के साथ पंजीकृत हैं।

इंटीग्रेटरो को पूर्ण भुगतान जारी कर दिया। दर अनुबंध में घटकवार लागत के विवरण के अभाव में लेखा परीक्षा ने जल आवक क्षमता परीक्षण हेतु सिस्टम इंटीग्रेटरो को किए गए **₹** 4.66 करोड़[13] की भुगतान की संगणना करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में फरवरी 2015 और जून 2020 से प्रभावी दरों की अनुसूची में जल आवक क्षमता परीक्षण घटक हेतु निर्धारित दर को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडा द्वारा कार्य के एक मद की निष्पादन सुनिश्चित किए बिना भुगतान के कारण ठेकेदारों को **₹** 4.66 करोड़ के अनुचित लाभ मिला।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर, शासन ने बताया (जनवरी 2024) कि दूरस्थ और विद्युतविहीन क्षेत्र होने के कारण सभी सिस्टम इंटीग्रेटर/विक्रेता सौर पंप स्थापना से पहले स्थिर स्तर और जल की कुल गहराई की सामान्य विधि द्वारा जल के स्रोत का जाँच करते हैं तथा यही समान जानकारी आवेदन पत्र के प्रारूप–2 में दी गई थी जिसके आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्य आदेश जारी किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि सौर पंप स्थापना से पहले जल आवक क्षमता परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने तथा जियो–टैग चित्र लेने के निर्देश जारी किए जाएंगे। आगे यह कहा गया कि लेखापरीक्षा परिणामों के अनुपालन में निविदा अभिलेखों में जल आवक क्षमता परीक्षण और जियो –टैग चित्र लेने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

उत्तर स्वतः–व्याख्यात्मक है कि सौर सबमर्सिबल पंप की स्थापना से पहले जल आवक क्षमता परीक्षण नहीं किया गया था और सौर पंप की क्षमता (3एचपी/5 एचपी) का निर्धारण नलकूपों में जल जल आवक क्षमता की जाँच के स्थान पर स्थिर स्तर और नलकूप की कुल गहराई के आधार पर निर्धारित की गई थी।

3.2.2.3 कुओं में सतही पंप के स्थान पर सबमर्सिबल पंप स्थापित किए जाने के कारण अपरिहार्य अतिरिक्त लागत

सौर सुजला योजना के दिशा–निर्देशों (मई 2017) के अंतर्गत, एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान अपनी उथली नलकूप या अपनी अन्य स्रोतों में पानी की उपलब्धता के आधार पर सौर पंप के लिए पात्र हैं। सौर सुजला योजना के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नलकूप/कुएं/तालाब/नदी/एनिकट जैसे स्रोतों में पानी की उपलब्धता के आधार पर 2 एचपी से 5 एचपी तक की सबमर्सिबल/सतही सौर पंप स्थापित किया जाएगा।

अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के मध्य) में पाया गया कि अवधि 2016–23 के दौरान क्रेडा ने सौर सुजला योजना के तहत 1,24,472 सौर पंप (सबमर्सिबल–90,130 और सतही–34,342) स्थापित किए। इनमें से 5,297 सबमर्सिबल सौर पंप (4,865–3 एचपी और 432–5 एचपी) कुओं में स्थापित किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.2.4** में दिया गया है।

[13] 56301 × ₹ 415 प्रति घंटा + 34083 × ₹ 688 प्रति घंटा = ₹ 2.32 करोड़ + ₹ 2.34 करोड़

तालिका 3.2.4: क्षेत्रीय कार्यालयवार कुओं में सौर पंपों की स्थापना

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	तीन एचपी सौर पंप		पांच एचपी सौर पंप	
	सबमर्सिबल	सतही	सबमर्सिबल	सतही
बिलासपुर[14]	99	346	25	11
दुर्ग	409	466	66	137
जगदलपुर	386	1096	9	125
दंतेवाडा	624	95	14	35
रायगढ़	81	327	14	65
रायपुर	524	495	88	69
सरगुजा	2742	2306	216	152
योग	**4865**	**5131**	**432**	**594**

सामान्यतः सबमर्सिबल पंपों को गहरे कुओं के लिए उपयोग किया जाता है जबकि सतही पंपों का उपयोग उथले जल स्रोतों के लिए किया जाता है। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जल की गहराई तालिका पर ध्यान दिए बिना सबमर्सिबल पंप सभी परिक्षेत्रो में स्थापित किए गए थे। लेखा परीक्षा में देखा गया कि छत्तीसगढ़ के भू–जल प्रतिवेदन 2021–22 के अनुसार 13 प्रतिशत कुओं में सामान्य जल स्तर की गहराई 0 से 2 मीटर नीचे भूमि स्तर (एमबीजीएल) के मध्य, 46 प्रतिशत कुओं में 2–5 एमबीजीएल के मध्य और 37 प्रतिशत कुओं में 10 एमबीजीएल तक था। बिलासपुर और कबीरधाम के केवल कुछ भागो में जल स्तर की गहराई 20 से 40 एमबीजीएल के मध्य होते हैं। तथापि, उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिलासपुर परिक्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ के शेष भागों की तुलना में गहरे कुंए हैं वहां सबमर्सिबल पंपों की तुलना में अधिक सतही पंप स्थापित किए गए थे जबकि सरगुजा और रायपुर में अधिक सबमर्सिबल पंप स्थापित की गई थी। यह दर्शाता है कि योजना के अंतर्गत सबमर्सिबल पंप के स्थान पर सतही पंप जो लागत में अधिक सस्ती हैं, को स्थपित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि क्रेडा द्वारा वर्ष 2016–23 के दौरान स्वीकृत किए गए न्यूनतम दरों के अनुसार, 3 एचपी और 5 एचपी के सबमर्सिबल एवं सतही सौर पंपों में औसत दर का अंतर क्रमशः ₹ 28,697 और ₹ 95,551 के मध्य था, जिसे **तालिका 3.2.5** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.2.5: सतही और सबमर्सिबल सौर पंप के मध्य दर का अंतर

(₹ में)

दर अनुबंध में सौर पंपों की औसत दर की वर्ष	3 एचपी सौर पंप			5 एचपी सौर पंप		
	सबमर्सिबल पंपों की औसत दर	सतही पंपों की औसत दर	औसत दर में अंतर	सबमर्सिबल पंपों की औसत दर	सतही पंपों की औसत दर	औसत दर में अंतर
2016–17 से 2022–23	2,88,337	2,59,640	28,697	4,38,805	3,43,254	95,551

(स्त्रोतः– वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान क्रेडा द्वारा सौर सुजला योजना के अंतर्गत सौर पंप स्थापना हेतु स्वीकृत किए न्यूनतम दरें)

[14] जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, मुंगेली, कोरबा से संबंधित आंकड़े

इस प्रकार, 14[15] जिलों में सतही पंपों के स्थान पर 2,746 (तीन एचपी के 2,474 और पांच एचपी के 272) सौर सबमर्सिबल पंपों की स्थापना से ₹ 9.70 करोड़[16] की अपरिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि सतही पंप का सक्शन हेड कम होता है तथा कुछ कुओं में जहाँ गहराई अधिक थी, सबमर्सिबल पंप स्थापित किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि लेखा परीक्षा परिणामों के अनुपालन में अब सबमर्सिबल सौर पंपों की स्थापना नहीं की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.एन.आर.ई. के विशिष्टियो के अनुसार 20 से 30 मीटर जल सक्शन हेड क्षमता के साथ सतही पंप उपलब्ध है और भारत सरकार की भूजल प्रतिवेदन के अनुसार कुओं की अधिकतम गहराई 25 एमबीजीएल के भीतर थी।

3.2.2.4 श्रमिक उपकर की कटौती नही करने के कारण सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को ₹ 12.47 करोड़ का अनुचित लाभ

भवन तथा अन्य निर्माण कार्यो में नियोजित श्रमिकों की कल्याण हेतु संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 को अधिसूचित किया। अधिनियम के धारा 3(1) के अनुसार, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण कार्यों के संबंध में "स्रोत पर कटौती" के रूप में निर्माण लागत पर एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाना एवं संग्रह किया जाना है। विभिन्न राज्य योजनाओं यथा व्यक्तिगत लघु सिंचाई तथा सौर सामुदायिक सिंचाई हेतु सौर सुजला योजना, छत्तीसगढ़ में पेय जल प्रदाय हेतु सौर डुअल पंप और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु क्रेडा मुख्य अभिकरण है। क्रेडा ने अवधि 2016–17 से 2022–23 के दौरान सौर सुजला योजना/सौर सामुदायिक सिंचाई/सौर डुअल पंप/जल जीवन मिशन योजनाओं के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए सिस्टम इंटेंग्रेटर्स के साथ दर अनुबंधों का पालन किया जिसमें आपूर्ति, स्थापना और सिविल कार्य सम्मिलित थे। दर अनुबंध की शर्तों में भुगतान जारी करने के दौरान सिस्टम इंटेंग्रेटर्स के देयकों से सिविल कार्यों पर श्रमिक उपकर की कटौती हेतु शर्त भी सन्निहित है।

वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान, क्रेडा ने लघु सिंचाई के लिए सौर सुजला योजना/सौर सामुदायिक सिंचाई तथा पेयजल की आपूर्ति के लिए सौर डुअल पंप/जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1,39,643 सौर पंप स्थापित किए एवं स्वीकृत लागत के अनुसार सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को ₹ 5,006.57 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान ₹ 50.06 करोड़ तक श्रमिक उपकर (लागत का एक प्रतिशत) आरोपित किया जाना था।

अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के बीच) से पता चला कि वर्ष 2016–21 के दौरान क्रेडा ने सौर पंपों की स्थापना के लिए सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को जारी किए गए ₹ 3,235.07 करोड़ के भुगतान से श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की, जो संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। हालाँकि, क्रेडा ने वर्ष 2021–22 से सौर पंपों की स्थापना पर श्रमिक उपकर की कटौती प्रारंभ किया था। आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2021–23

---

[15] बस्तर, धमतरी, दुर्ग, जांगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव और सरगुजा 2021–22 के भूजल विवरण में उपलब्ध हैं।

[16] ₹ 7. 10 करोड़ (28697 की दर से तीन एचपी के 2474) + 2.6 करोड़ (95551 की दर से पांच एचपी के 272)

के दौरान, क्रेडा ने सौर पंपों की स्थापना लागत के 30 प्रतिशत पर श्रमिक उपकर की कटौती की।

हालाँकि, क्रेडा ने अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को किए गए भुगतान से श्रमिक उपकर की कटौती नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक उपकर की कटौती नही करने के कारण सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को ₹ 12.47 करोड़[17] का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ जिसे उत्तरदायी सिस्टम इंटेंग्रेटर्स से न तो वसूला गया और न ही इसे दिसंबर 2024 तक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास जमा किया गया।

इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि वर्तमान में सिविल कार्य की स्थापना लागत पर एक प्रतिशत श्रमिक उपकर की कटौती की जा रही है। आगे यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा परिणामों के अनुपालन में वर्ष 2024–25 के निविदा अभिलेखों में पंप की कुल लागत पर श्रमिक उपकर की कटौती का प्रावधान अपनाया गया है।

3.2.3 निष्कर्ष

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्रेडा द्वारा सौर पंपों की स्थापना योजनाओं में धन के अपर्याप्त उपयोग एवं योजना के दिशानिर्देशों से विचलन के कारण योजना का उद्देश्य प्रभावित हुआ। इसके परिणामस्वरूप जल स्रोतों के साथ उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना पंपों की स्थापना, नलकूपों की जल आवक क्षमता का परीक्षण किए बिना ठेका भुगतान जारी करना एवं महंगे पंपों का चयन किया गया। इन सभी कारणों ने योजनाओं के प्रदर्शन को प्रभावित किया एवं अनावश्यक व्यय का कारण बने। क्रेडा ने जहाँ देय था वहाँ निर्धारित रॉयल्टी एवं श्रमिक उपकर की वसूली न करके वैधानिक अनुपालन में भी चूक किया।

3.2.4 अनुशंसाएं

- ***यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित जल स्रोतों में स्थापित किए जाने वाले सौर पंपों का उपयुक्त प्रकार एवं श्रेणी निर्दिष्ट करते हुए तथा योजना के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु क्रेडा को स्पष्ट दिशानिर्देश बनाना चाहिए।***

[17] (5006.57 करोड़ का 30 प्रतिशत) का एक प्रतिशत = ₹ 15.02 करोड़ – ₹ 2.55 करोड़ (श्रम उपकर की वसूली की गई और 2021–22 से 2022–23 की अवधि के लिए खातों के संबंधित अंतिम शीर्ष में जमा किया गया) =₹ 12.47 करोड़

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाई, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। ये टिप्पणियाँ नियमों और विनियमों के अनुपालन न होने/अनुपस्थित होने तथा निगरानी/प्रशासनिक नियंत्रण में कमी से संबंधित हैं। इनका उल्लेख नीचे किया गया है:

लोक निर्माण विभाग

3.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

कठोर चट्टान को साधारण चट्टान के रूप में गलत वर्गीकृत करने तथा तटबंध कार्य के लिए ठेकेदार को वास्तविक मात्रा से अधिक ₹ 1.19 करोड़ का अधिक भुगतान करने के परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

माप पुस्तिकाओं के उपयोग के संबंध में निर्माण विभाग नियमावली के खंड 4.023(v) के अनुसार, "आंकड़ों को जोड़ना/मिटाना/आंकड़ो का अधिलेखन करना सख्त वर्जित है। यदि सुधार आवश्यक है, तो गलत प्रविष्टि पर एक रेखा खींचकर एवं उसके ऊपर सही आंकड़ा लिखकर सुधार किया जाना चाहिए। सुधार करने वाले पक्ष को सुधार पर अपने आद्याक्षर एवं दिनांक अंकित करने आवश्यक हैं। जब आंकड़ों के समूह में सुधार आवश्यक हो, तो पूरे समूह को फिर से लिखा जाना, आद्याक्षर किया जाना एवं दिनांक अंकित किया जाना चाहिए। आद्याक्षर में व्यक्ति के नाम एवं उपनाम के प्रथम अक्षर होने चाहिए। यदि कोई माप रद्द किया जाता है, तो रद्द करने का कारण उसी पृष्ठ पर दर्ज किया जाना चाहिए एवं उसके नीचे दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाने चाहिए"। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सड़क निर्माण कार्यों के लिए दर अनुसूची (एसओआर), 2013 के प्रावधान के अनुसार, खुदाई के दौरान प्राप्त कठोर चट्टान ठेकेदार को ₹ 200.00 प्रति घन मीटर की दर से जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने लोक निर्माण वृत्त, सरगुजा में मसंकी–बेदमी रोड (लंबाई 4.36 कि. मी.) पर घाट काटने एवं सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिए एक ठेकेदार को ₹ 6.46 करोड़ (एसओआर से 13.80 प्रतिशत कम) की अनुबंध राशि के साथ कार्य आदेश (अक्टूबर 2014) जारी किया, जिसे पूरा करने की अवधि बारिश के मौसम सहित 15 महीने अर्थात 19.01.2016 निर्धारित की गई थी।

सड़क के संरेखण में परिवर्तन एवं बिटुमिनस मैकाडम और सेमी–डेंस बिटुमिनस कंक्रीट की नई मदों सहित अतिरिक्त कार्य के कारण कार्य का मूल दायरा संशोधित किया गया था तथा छत्तीसगढ़ शासन (अप्रैल 2018) ने कार्य के लिए पूरक अनुसूची को मंजूरी इस निर्देश के साथ दी कि शुद्ध अतिरिक्त लागत अनुबंधित राशि के ₹ 4.71 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य मार्च 2018 में पूरा हुआ, और ठेकेदार को ₹ 11.51[18] करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2022)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरक अनुसूची में अनुमोदित ₹ 11.17[19] करोड़ की राशि से ₹ 33.92 लाख की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

---

[18] दिनांक 11.03.2022 के आदेश संख्या 13 डीएल के अनुसार, ₹ 12.82 लाख की लागत वृद्धि सहित

[19] ₹ 6.46 करोड़ (अनुबंधित राशि) + ₹ 4.71 करोड़ (पूरक अनुसूची में अतिरिक्त शुद्ध लागत)

(अ) कठोर चट्टान को साधारण चट्टान के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण सरकार को ₹ 2.02 करोड़ का नुकसान

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कार्य के मूल प्राक्कलन में साधारण चट्टान में उत्खनन की मात्रा 44,528.16 घन मीटर और कठोर चट्टान में उत्खनन की मात्रा 66,792.24 घन मीटर शामिल थी, जबकि संशोधित प्राक्कलन (जून 2016) में साधारण चट्टान और कठोर चट्टान में उत्खनन की मात्रा को क्रमशः 3,72,566.90 घन मीटर और शून्य के रूप में संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा (दिसंबर 2017) ठेकेदार को अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए कठोर चट्टानों में घाट काटने और वन विभाग से अनुमति में देरी जैसे कारणों से समय विस्तार दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने मदों की मात्रा एवं लागत में भिन्नता के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत (फरवरी 2018) पूरक अनुसूची से पाया कि साधारण चट्टान और कठोर चट्टान में उत्खनन मद के अंतर्गत की गई वास्तविक मात्राएँ क्रमशः 2,41,064.28 घन मीटर (60 प्रतिशत) और 1,60,709.52 घन मीटर (40 प्रतिशत) दर्शाई गई थीं। यहाँ शामिल मात्राएँ 8वें और अंतिम देयक[20] के लिए माप पुस्तिकाओं में दर्ज की गई प्रारंभिक अभिलेखण (26 फरवरी 2018) के अनुरूप थीं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त प्रारंभिक अभिलेखण को माप पुस्तिका में काट दिया गया था और अधिलेखन कर दिया गया था, जिसमें पूरी मात्रा अर्थात 4,01,773.80 घन मीटर (2,41,064.28 घन मीटर + 1,60,709.52 घन मीटर) को बिना किसी औचित्य/कारण के साधारण चट्टान में कटाई के रूप में दर्शाया गया था। तदनुसार, 4,01,773.80 घन मीटर साधारण चट्टान की कटाई पर विचार करते हुए ठेकेदार को 8वें चल देयक में ₹ 129 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि कठोर चट्टान का उत्खनन किया गया था और विभाग की दर अनुसूची के प्रावधान के अनुसार, उत्खनन के दौरान प्राप्त कठोर चट्टान को ठेकेदार को जारी किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, ठेकेदार को 1,60,709.52 घन मीटर कठोर चट्टान जारी न करने और कठोर चट्टान को साधारण चट्टान के रूप में गलत वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 2.02 करोड़[21] के राजस्व का शुद्ध घाटा हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि घाट भाग में मिश्रित सामग्री (कठोर चट्टान, साधारण चट्टान और मिट्टी) थी और खुदाई के दौरान सामग्री को कठोर चट्टान, साधारण चट्टान में अंतर करना मुश्किल था और सड़क के दोनों ओर गहरी खाई होने के कारण सामग्री को ढेर करना और परिवहन करना भी मुश्किल था। अतः कटाई सामग्री का भुगतान कम दर वाली वस्तु यानी साधारण चट्टान पर सामग्री को वर्गीकृत करने के बाद किया गया था। इसके अलावा, सड़क के एक तरफ ढलान होने के कारण घाट कटाई के दौरान 40 प्रतिशत सामग्री खाई में गिर गई थी और शेष 60 प्रतिशत का उपयोग तटबंध निर्माण में किया गया था। आगे यह कहा गया कि माप पुस्तिका एवं बिल माप पुस्तिका में अधिलेखन के लिए तत्कालीन उप–अभियंता और तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि चट्टान का वर्गीकरण तत्कालीन कार्यपालन अभियंता द्वारा किया गया था और वर्गीकरण के लिए कोई अनुमति पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

---

20 बाद में, मूल्य वृद्धि हेतु 9वां एवं अंतिम देयक प्रस्तुत किया गया।

21 1,60,709.52 × [200–(215–129) से 13.80 प्रतिशत कम]

उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं हैः

- मिश्रित सामग्री के उत्खनन का कोई अभिलेख/दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया तथा उत्खनित सामग्री के विभेदन और ढेर लगाने में आने वाली कठिनाइयों के लिए ठेकेदार द्वारा कोई पत्राचार भी उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया। ढेर लगाने के अभाव में, खाई में गिरी सामग्री का 40 प्रतिशत परिमाणीकरण भी संदिग्ध है;
- उत्खनित सामग्री का वर्गीकरण अनुमति पत्र प्राप्त किए बिना किया गया; और
- ठेकेदार द्वारा कठोर चट्टान के उत्खनन को एक कारक बताया गया और कार्य के लिए समय विस्तार प्रदान करते समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पर विचार भी किया गया था।

माप पुस्तिका में कठोर चट्टान की प्रारंभिक प्रविष्टियों को हटाना तथा बिना किसी औचित्य के अंतिम भुगतान से ठीक पहले साधारण चट्टान के रूप में अधिलेखण करना इस बात की पुष्टि करता है कि कटाई सामग्री को साधारण चट्टान के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, ताकि कठोर चट्टान की खुदाई करके उसे ठेकेदार को जारी किये जाने के बदले में वसूली किये जाने से बचा जा सके।

(ख) ठेकेदार को तटबंध कार्य के लिए निष्पादित वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा में ₹ 1.19 करोड़ का भुगतान किया जाना

उपरोक्त कार्य में सड़क काटने से जमा सामग्री और बॉरो पिट से प्राप्त सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण भी शामिल था, जिसकी मात्रा क्रमशः ₹ 74.00 प्रति घन मीटर की दर से 50,721.60 घन मीटर और ₹ 145 प्रति घन मीटर की दर से 53,176.91 घन मीटर थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरक अनुसूची में अनुमोदित (अप्रैल 2018) किया गया था।

यह देखा गया कि 8वें और अंतिम बिल के लिए, उप–अभियंता ने माप पुस्तिका (माप पुस्तिका क्रमांक 919 के पृष्ठ 57 पर) में 1,01,837.26 घन मीटर की कुल भराव मात्रा का माप दर्ज किया (फरवरी 2018), जिसमें सड़क कटाई (50,721.60 घन मीटर) और बॉरो पीट (51,115.66 घन मीटर) से प्राप्त कुल भराव मात्रा शामिल थी। हालांकि, माप पुस्तिका में 50,721.60 घन मीटर के प्रारंभिक माप को अधिलेखित और काट कर सड़क काटने से प्राप्त मद की मात्रा 2,37,492.11 घन मीटर तक बढ़ा दी गई। बढ़ी हुई मात्रा के लिए कोई विस्तृत माप दर्ज किए बिना, सड़क कटाई की सामग्री के साथ तटबंध के निर्माण की मद की 1,86,770.51[22] घन मीटर की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान ठेकेदार को 8वें अंतिम बिल के माध्यम से किया गया (अक्टूबर 2018)। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को उस कार्य के लिए ₹ 1.19 करोड़[23] का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जो स्पष्टतः निष्पादित नहीं किया गया था।

बाद में, कार्यपालन अभियंता द्वारा तत्कालीन उप–अभियंता और अनुभागीय अधिकारी को माप पुस्तिका में अधिलेखन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (फरवरी 2024) लेकिन उनसे कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2024)।

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि सड़क के घाट की ओर कुल 4,01,773.80 घन मीटर की कटाई में से 60 प्रतिशत सामग्री, अर्थात् 2,37,492.11 घन मीटर, तटबंध निर्माण में प्रयुक्त हुई और भुगतान 7वें चालू बिल तक LxBxD माप के आधार पर किया गया तथा अंतिम भुगतान सड़क के समतलीकरण के

---

[22] 2,37,492.11 घनमीटर–50,721.60 घनमीटर

[23] (1,86,770.51 X ₹ 74) से 13.80 प्रतिशत कम

बाद किया गया। आगे बताया गया कि तत्कालीन उप–अभियंता और तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी से माप पुस्तिका और बिल माप पुस्तिका में अधिलेखन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माप पुस्तिका में दर्ज मिट्टी कार्य की अंतिम गणना के अनुसार भराव हेतु केवल 1,01,837.26 घन मीटर मात्रा की आवश्यकता थी। सड़क कटाई से प्राप्त सामग्री की 50,721.60 घन मीटर मात्रा को माप पुस्तिका में अधिलेखन कर/काटकर 2,37,492.11 घन मीटर कर दिया गया था एवं 50,721.60 घन मीटर ही वास्तविक निष्पादित मात्रा थी, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरक अनुसूची (अप्रैल 2018) में भी अनुमोदित किया गया था। 1,86,770.51 घन मीटर की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान ठेकेदार को किए गए कार्य का कोई विस्तृत माप दर्ज किए बिना ही कर दिया गया।

इस प्रकार, माप पुस्तिकाओं की शुद्धता बनाए न रखने के कारण सरकार ने प्रविष्टियों को काटने/अधिलेखित करने की अनुमति देकर ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 3.21 करोड़[24] का नुकसान हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि जिम्मेदारी निर्धारित किया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा माप पुस्तिका के रखरखाव के मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि निष्पादित कार्य के लिए भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों में परिवर्तन किए जाने से रोका जा सके।

रायपुर
दिनांक : 11 नवंबर 2025

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 19 नवंबर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

24 (₹ 2.02 करोड़ + ₹ 1.19 करोड़)